न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग)

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर०ए०एस

मुकदमा नं0 08/2022

1. जुहर खां पुत्र सुफेदा
2. आसीनी पत्नी जुहरू खां जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर
2. जाकिर हुसैन
3. जानमौहम्मद पुत्रान फत्ते जाति मेव निवासी ग्राम नांगल तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री यशपाल सैनी वकील प्रार्थीगण
श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 2 व 3

दिनांक :– 22/08/2024

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 82 आराजी खसरा नम्बर 337/1.95 खाता संख्या 71 खसरा नम्बर 337/838/1.13 हैक्टर बांके ग्राम नांगल तहसील पहाडी में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 संलग्न है। खसरा नम्बर 337/1.95 के प्रार्थीगण तथा खसरा नम्बर 337/838/1.13 हैक्टर के अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है जो कि अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर कब्जा काश्त है बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रार्थीगण के साविक खसरा नम्बर 262 मिन/1.95 हैक्टर का नया खसरा नम्बर 337/1.95 तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साविक खसरा नम्बर 262 मिन/1.13 का नया खसरा नम्बर 337/838/1.13 हैक्टर कायम कर नक्शे में खिलाफ मौका व कब्जा के एक दूसरे खसरा नम्बर के स्थान पर गलत दर्ज कर दिये प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 337 को अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 337/838 के स्थान पर खिलाफ मौका कब्जा के गलत दर्ज कर दिया जिसे आपस में तनाजा हो रहा है जिसे मौका कब्जानुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया जावे कि हाल नये नक्शे में दर्ज प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 337/1.95 को नक्शे में दर्ज अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खसरा नम्बर 337/838/1.13 के स्थान पर तथा खसरा नम्बर 337/838/1.13 को खसरा नम्बर 337/1.95 के स्थान पर हाल मौका कब्जा अनुसार दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी मौका जाँच रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि खसरा नम्बर 337/1.95, 337/838/1.13 हैक्टर बांके ग्राम नांगल मुताबिक मौका पर्चा पटवारी हल्का दिनांक 11/05/2022 के अनुसार खसरा नम्बर 337/1.95 का जुहर खां पुत्र

सुफेदा, आसीन पत्नी जुहर खां तथा खसरा नम्बर 337/838/1.13 हैक्टर का जाकिर हुसैन, जानमौहम्मद पिसरान फत्तो मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार है खसरा नम्बर 337/1.95, 337/838/1.13 हैक्टर साविक खसरा नम्बर 262 मिन से बंदोबस्त विभाग द्वारा मौका कब्जा के खिलाफ नक्शा तैयार किया गया है हाल नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 337/838/1.13 के स्थान पर खसरा नम्बर 337/1.95 दर्ज होगा।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब प्रार्थना पत्र पेश ना करने के कारण जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली एवं जबाब तहसीलदार का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब में जाहिर किया है कि साविक खसरा नम्बर 262 मिन से बंदोबस्त विभाग द्वारा मौका कब्जा के खिलाफ नक्शा तैयार किया गया है हाल नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 337/838/1.13 के स्थान पर खसरा नम्बर 337/1.95 दर्ज होगा । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128, 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुसार हाल नक्शे में दर्ज खसरा नम्बर 337/838/1.13 के स्थान पर खसरा नम्बर 337/1.95 हैक्टर व खसरा नम्बर 337/1.95 के स्थान पर 337/838/1.13 दुरूस्त किये जाने की आज्ञा दी जाती है। निर्णय प्रति तहसीलदार पहाडी को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner